संख्या- 98/2025/274के-2/22-3-2025-17(433)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 06 अप्रैल, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकराम पुत्र श्री वफाती, निवासी जनपद-आगरा की नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4736/प्रो0अनु0(2)-287/2025(बैठक दिनांक 30.01.2025) दिनांक-03.02.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकराम पुत्र (बंदी सं0-18201) पुत्र श्री वफाती, जो-ग्राम बाग कला किरावली, थाना-अछनेरा, जनपद-आगरा का निवासी है। फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 26.09.2010 को बन्दी द्वारा अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय लड़के अतुल उर्फ बांके का अपहरण कर हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-1071/2010 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-14, आगरा के आदेश दिनांक 07.12.2021 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त के अतिरिक्त सत्र परीक्षण सं0-142/2011 में भा0द0वि0 की धारा-2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, गैंगेस्टर एक्ट, आगरा के आदेश दिनांक 28.02.2022 द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की आयु जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16.01.2025 तक लगभग 36 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2025 तक 14 वर्ष, 03 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 09 माह, 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट एवं जिला मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल०जे० 1471 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आख्या प्रेषित करते हुये उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में होने, किन्तु बन्दी एक आपराधिक प्रवृत्ति के होने के कारण भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा निम्न होने के कारण बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा प्रकरण का गहनता से परिशीलन करने पर पाया गया कि बन्दी द्वारा फिरौती के उद्देश्य से दिनांक 28.09.2010 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 12 वर्षीय लड़के अतुल उर्फ बांके का अपहरण कर जघन्य हत्या का अपराध कारित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट एवं जिला मजिस्ट्रेट आगरा द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं की आख्या में बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गई है उपरोक्त से स्पष्ट है कि बन्दी को कारागार से रिहा करने पर समाज में भय का वातावरण व्याप्त होगा तथा लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) कमिश्नरेट तथा जिला मजिस्ट्रेट, आगरा की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार समिति के समस्त सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत स्थिर करते हुये बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व बन्दी को कारागार से रिहा करने से समाज में भय का वातावरण व्याप्त होने, लोक व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत्त सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इकराम पुत्र वफाती को उ०प्र० जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इकराम (बंदी सं0-18201) पुत्र श्री वफाती, निवासी जनपद-आगरा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री को सूचनार्थ।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।